SIR विरोध की रामलीला रैली और CEC का प्रतीकात्मक जन-महाभियोग: चुनावी विश्वास की लड़ाई

राष्ट्रीय/राजनीति | चुनाव आयोग • SIR • GS-II | समाचार-संदर्भ: 1 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 4 नवंबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

1 नवंबर 2026 को INDIA गठबंधन ने दिल्ली में दो बड़े कार्यक्रम किए: दिन में मिंटो रोड-कनॉट प्लेस से **रामलीला मैदान तक विशाल मार्च और रैली**, और शाम को कांग्रेस अध्यक्ष **मल्लिकार्जुन खरगे के राजाजी मार्ग आवास पर CEC ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक "जन-महाभियोग"**। मतदाता-सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और "वोट चोरी" के आरोपों को लेकर आयोजित रैली में राहुल गांधी, खरगे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत दर्जनभर नेता शामिल हुए। शाम को 19 विपक्षी दलों के 250 से अधिक सांसदों-विधायकों ने साढ़े तीन घंटे की कार्यवाही के बाद सर्वसम्मति से CEC को हटाने का प्रस्ताव पारित किया और उन पर "देशद्रोह" का मुकदमा चलाने की मांग की। BJP ने पूरे कार्यक्रम को "ड्रामा" कहा और "रामलीला मैदान का 40% हिस्सा खाली" होने का दावा किया।

PCSMANTRA.COM

रैली: नेताओं के प्रमुख आरोप

खरगे ने रैली को "ऐतिहासिक" कहा और आरोप लगाया कि PM मोदी और गृह मंत्री शाह "महिलाओं, युवाओं और दलितों के वोट चुराने" की कोशिश में हैं — "जब तक ज्ञानेश कुमार नहीं जाते, हम लड़ते रहेंगे; भूमिगत हो जाएं तो भी निकालेंगे"। **राहुल गांधी** ने कहा कि CEC

"जेल जाएंगे" और जन-महाभियोग को "संविधान के लिए पवित्र कर्तव्य" बताया। **अखिलेश यादव** ने अयोध्या राम मंदिर चंदा-कांड जोड़ा — "वोट चोरी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी करने वाले खत्म होंगे" — और दावा किया कि UP में "1.27 करोड़ हिंदू वोट कटे"। **ममता बनर्जी** ने "Vanish Kumar ji" कहा और "Vote chori, yes papa" वाली तुकबंदी सुनाई; बंगाल को "SIR का शिकार" बताया। **तेजस्वी यादव** ने महाभारत का रुपक दिया, **फारूक अब्दुल्ला** ने मुसलमानों के योगदान की बात की, और **महबूबा मुफ्ती** ने "देश की संपत्ति एक उद्योगपति को बेचने" का आरोप लगाया।

प्रतीकात्मक जन-महाभियोग: क्या हुआ

शाम 4 बजे के बाद खरगे के आवास पर 19 दलों के 250+ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुटे। आरोप-पत्र में CEC पर "BJP द्वारा रचित चुनाव चुराने की साजिश में भागीदारी", "तोड़ी-मरोड़ी और विनाशकारी SIR" और "संसद को बिना बताए फॉर्म 6 में फेरबदल" के आरोप लगे। **शाम 7:05 बजे** कुमार को हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। राहुल गांधी ने कहा — "यह कोई बगीचे की बातचीत नहीं, यह राजनीतिक हथियार है जो भारत के युवाओं को न्याय दिलाएगा... हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची"। यह नागरिक-समाज शैली का प्रतीकात्मक अभिनय था, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं।

CEC को हटाने की असली संवैधानिक प्रक्रिया

अनुच्छेद **324(5)** के अनुसार CEC को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिससे **सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश** — यानी "सिद्ध कदाचार या असमर्थता" पर संसद के दोनों सदनों में **विशेष बहुमत** (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित-मतदान करने वालों का दो-तिहाई)। अन्य चुनाव आयुक्त केवल CEC की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। नियुक्ति के मामले में मार्च 2023 के **अनूप बारनवाल** फैसले के बाद बने **CEC एवं अन्य EC अधिनियम, 2023** के तहत चयन-समिति में PM, लोकसभा में नेता-विपक्ष और PM-नामित कैबिनेट मंत्री होते हैं — यही व्यवस्था "कार्यकारी-पक्षत" की आलोचना का केंद्र है।

SIR विवाद की पृष्ठभूमि

विशेष गहन पुनरीक्षण में घर-घर जाकर मतदाता-सूची का पूर्ण पुनर्मार्जन होता है। बिहार SIR के बाद दिल्ली SIR को लेकर विवाद बढ़ा — जिन मतदाताओं के नाम कटे, उनके पुनः-नामांकन पर आयोग की **फॉर्म 6** की मांग और उसमें SIR-संबंधी घोषणा-खंड को याचिकाकर्ताओं ने "अवैध" बताया; मामला सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेखित हुआ और आयोग ने बाद में विवादित खंड हटा लिया। विपक्ष का दावा है कि SIR से वंचित वर्गों के नाम बड़े पैमाने पर कटे हैं; आयोग कहता है कि यह शुद्धता की प्रक्रिया है।

राजनीतिक विश्लेषण

रैली विपक्ष की पिछले वर्षों की सबसे बड़ी संयुक्त मुहिम है, पर प्रश्न यह है कि संस्थागत शिकायत सामान्य मतदाता का मुद्दा बन पाती है या नहीं — कई विश्लेषक "प्रतीकात्मकता बनाम रणनीति" की चर्चा कर रहे हैं। BJP का पालटवार दोहरा: भीड़ का आकार छोटा बताना और आरोपों को "संस्थाओं में कृतिम अविश्वास" कहना। मध्यावधि-शैली की यह लड़ाई आगामी विधानसभा चुनावों तक चुनावी-विश्वसनीयता को केंद्रीय मुद्दा बनाए रख सकती है।

PCSMANTRA.COM

विश्लेषक दृष्टि: प्रताप भानु मेहता

इसी बहस को प्रताप भानु मेहता ने अपने **10 अक्टूबर 2026** के स्तंभ (इंडियन एक्सप्रेस) में "जन-संचलन बनाम अटल राज्य" का दलित-बिंदु बताया था। उनका तर्क: 10 अक्टूबर के CJP प्रदर्शनों और विपक्ष के सतत आंदोलनों ने परीक्षा-संचालन और SIR – दोनों के

खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश को **"विश्वास के एकल संकट"** में बदल दिया है; यह संकट अब सरकार तक सीमित नहीं, बल्कि चुनाव आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक फैल चुका है, क्योंकि प्रदर्शन आंशिक रूप से कोर्ट के "लोकतंत्र के घटक-नियमों की रक्षा न करने" का परिणाम है। मेहता के अनुसार कोर्ट अपने SIR/आयुक्त-चयन फैसलों को पलटकर संकट की नोंक कम कर सकता है, पर ऐसा होना असंभावित; संस्थाएं विश्वसनीयता तभी पा सकती हैं जब संबंधित अधिकारी इस्तीफा दें – अन्यथा "उपचारात्मक अर्ध-कदम" ही रह जाएंगे। 1 नवंबर की रैली और जन-महाभियोग इसी विश्लेषण का राजनीतिक विस्तार है।

घटनाक्रम

- **2025-26:** बिहार SIR; नाम-कटौती को लेकर विवाद और अदालती लड़ाइयां
- **अक्टूबर 2026:** दिल्ली SIR में फॉर्म 6 विवाद; सुप्रीम कोर्ट में याचिका; आयोग ने विवादित घोषणा-खंड हटाया
- **1 नवंबर 2026 (दिन):** INDIA गठबंधन का मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक मार्च और विशाल रैली; CEC के इस्तीफे की मांग
- **1 नवंबर 2026 (शाम):** खरगे-आवास पर 19 दलों का प्रतीकात्मक "जन-महाभियोग"; 7:05 बजे सर्वसम्मत प्रस्ताव
- **आगामी:** संसद में वास्तविक महाभियोग प्रस्ताव लाने की विपक्षी तैयारी की घोषणा

परीक्षा के लिए महत्त्व

मुख्य परीक्षा (GS-II): चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जवाबदेही; अनुच्छेद 324; CEC नियुक्ति-विवाद (अनूप बारनवाल और 2023 अधिनियम); मतदाता-सूची प्रबंधन और नागरिक अधिकार; संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास।
प्रिलिम्स: CEC हटाने की प्रक्रिया (324(5) — SC न्यायाधीश के समान); चयन-समिति की संरचना (CEC अधिनियम 2023); SIR और साधारण संशोधन में अंतर; फॉर्म 6 का उद्देश्य (नया मतदाता नामांकन)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "चुनावी प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास ही लोकतंत्र की पहली पूंजी है।" SIR विवाद और CEC के विरुद्ध विपक्षी महिम के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)

भूमिका में
1 नवंबर 2026: रामलीला रैली और प्रतीकात्मक जन-महाभियोग; SIR पर आरोप-प्रत्यारोप; CEC हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया 324(5) में।

मुख्य भाग में
भूमिका: 1 नवंबर रैली/जन-महाभियोग और "वोट चोरी" आरोप। विश्वास-क्षरण के कारक: नियुक्ति-विवाद (2023 अधिनियम की समिति-संरचना), SIR में बड़ी कटौती, फॉर्म 6 विवाद। प्रतिपक्ष: आयोग की शुद्धता-तर्क, आलोचना का राजनीतीकरण भी संस्थागत विश्वास घटाता है। उपाय: स्वतंत्र नियुक्ति-तंत्र, पारदर्शी SIR ऑडिट, त्वरित न्यायिक निराकरण, नागरिक-सूचना अभियान।

PCSMANTRA.COM

निष्कर्ष में
विश्वास की बहाली दोनों ओर के आचरण से संभव है — आयोग को पारदर्शिता और विपक्ष को साक्ष्य-आधारित विरोध; अंततः संविधान की प्रक्रियाएं ही आधार।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पद से हटाने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: CEC को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति ही, अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है।
कथन-II: अन्य चुनाव आयुक्तों को CEC की सिफारिश के बिना हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल कथन-I

(b) केवल कथन-II

(c) कथन-I और कथन-II दोनों

(d) न तो कथन-I, न कथन-II

▶ **उत्तर और व्याख्या**

प्रश्न 2. CEC एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन-समिति में कौन-कौन शामिल है?

(a) प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा अध्यक्ष

(b) प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता-विपक्ष, PM-नामित कैबिनेट मंत्री

(c) प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति

(d) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता-विपक्ष

▶ **उत्तर और व्याख्या**

स्रोत

1. Indian Express, 1 नवंबर 2026 — रामलीला रैली: नेताओं के भाषण, आरोप, BJP की प्रतिक्रिया
2. Hindustan Times, 1 नवंबर 2026 — खरगे-आवास पर प्रतीकात्मक जन-महाभियोग: 19 दल, 250+ जनप्रतिनिधि, सर्वसम्मत प्रस्ताव
3. The Hindu, 1 नवंबर 2026 — रैली लाइव: भीड़, राहुल गांधी के "जेल" वाले बयान, घटनाक्रम
4. ThePrint — संसद में वास्तविक महाभियोग प्रस्ताव लाने की विपक्षी तैयारी
5. P B Mehta, Indian Express, 10 अक्टूबर 2026 — जन-संचलन बनाम अटल राज्य: विश्वास-संकट का विश्लेषण

PCSMANTRA.COM